

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं० सं०-2/एल-104/2024-

/स्वा०, पटना, दिनांक / / 2025

डा० रश्मि कुमारी, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रामपुर दयाल, बंदरा, मुजफ्फरपुर द्वारा चिकित्सा हेतु दिनांक 20.10.2023 से 31.10.2023 तक कुल 12(बारह) दिन उपभोगित अवकाश को वित्त(वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-764(25), दिनांक 07.04.2025 एवं बिहार सेवा संहिता के नियम-232 तथा 234 के अलोक में रूपांतरित अवकाश (24 दिनों के अर्द्धवैतनिक अवकाश के बदले) स्वीकृत किया जाता है।

2. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(विद्यानन्द जमादार)

सरकार के अवर सचिव

1353(2)

ज्ञापांक-2/एल-104/2024-

पटना, दिनांक 31/ 7/ 2025

प्रतिलिपि:-महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार पटना/असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बंदरा, मुजफ्फरपुर/कोषागार पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/डा० रश्मि कुमारी, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रामपुर दयाल, बंदरा मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-3, 9, 17 एवं 18ए, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-आई०टी०मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव